न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. देराज राम पुत्र श्री केसराराम, 2. भूराराम पुत्र श्री केसराराम 3. आसुराम पुत्र श्री केसराराम 4. हरचन्दराम पुत्र श्री केसराराम 5. खंगार राम पुत्र श्री केसराराम 6. अर्जून राम पुत्र श्री केसराराम 7. टीकूराम पुत्र श्री केसराराम सभी जाति– जाट, निवासी –डउकियो की ढाणी, तहसील रामसर, जिला बाडमेर।		1 गंगाराम पुत्र स्व0 श्री लालाराम 2 जेठाराम पुत्र स्व0 श्री लालाराम 3 छगनाराम पुत्र स्व0 श्री लालाराम 4 हीराराम पुत्र स्व0 श्री लूम्भाराम 5 अनोपी पत्नी स्व0 श्री लूम्भाराम सभी जाति जाट, निवासी– डउकियो की ढाणी, तहसील रामसर, जिला बाडमेर। 6 ग्राम पंचायत,खडीन तहसील रामसर 7 राज.राज्य द्वारा तहसीलदार,रामसर 8 मैनेजर बाडमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड , शाखा कृषि उपज मण्डी बाडमेर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.01.2018 जो राजस्व अपील संख्या 01/2017 अनवान गंगाराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत खडीन वगैरा में उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 5 की ओर से।
3–श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 6 व 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 2 सितम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि तात्कालिक ग्राम खडीन नवसृजित ग्राम डाउकियों की ढाणी के भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 92 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 9 रकबा 148 बीघा 6 बिस्वा व ख0न0 6 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा गै0 मु0 ढाणी कुल रकबा 242.04 बीघा तथा ख0न0 16 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन टांका भूमि का आधा हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता स्व0 केसा पुत्र मूला के हक हिस्से में आयी हुई होने से इसका अपीलाधीन नामान्तरकरण केसा व उसके पिता मूला के देहांत के बाद विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 30.10.1966 को संबधित भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच के बाद ग्राम पंचायत, खडीन के द्वारा स्वीकृत किया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त वर्णित अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 69 पारित होने की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता/दादा स्व0 लालाराम को स्वीकृति दिनांक से ही चली आ रही है। रेस्पो0 सं 1 से 5 के पिता/दादा लालाराम ने अपने पिता मूलाराम की खातेदारी भूमि ग्राम खडीन के अन्य ख0न0

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 10 रकबा 52 बीघा 1 बिस्वा व ख0न0 7 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 ढाणी के कुल रकबा 301 बीघा 7 बिस्वा को बंटवाडे करवाकर अपने नाम से खातेदारी में दर्ज करवा ली, इसलिये लालाराम ने उक्त नामांतकरण संख्या 69 पर कोई एतराज तत्समय नहीं किया तथा उपरोक्त नामान्तरकरण दर्ज होने के लम्बे समय बाद श्री लालाराम का वर्ष 1979 में देहान्त होने तक अपने जीवन काल में भी पुख्ता जानकारी होते हुए भी उनके द्वारा कोई एतराज नहीं किया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता/दादा लालाराम का देहांत वर्ष 1979 होने के बाद लालाराम की खातेदारी भूमि का विरासत का नामांतकरण रेस्पो0सं0 1 से 5 ने अपने नाम दर्ज करवाते हुए स्वीकृत करवाया, तबसे रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 69 में वर्णित भूमि में अपीलार्थीगण तथा उनके पिता के बंट की होने के कारण उक्त नामा0 अकेले केसाराम के वारिसान/अपीलार्थीगण दर्ज करने की पुख्ता जानकारी रेस्पो. संख्या 1 से 5 को रही है, फिर भी जान बुझकर अपीलाधीन नामातंकरण स्वीकृत होने के 50 वर्ष बाद रेस्पोडेन्टस की ओर से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर नामा0 संख्या 69 को निरस्त कर दिया गया जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 12.01.2018 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि स्व0 मूलाराम की कुल खातेदारी भूमि क्षेत्रफल में से रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पिता दादा स्व0 लालाराम का आधा हिस्से तक का रकबा रख सकता था परन्तु उसके नाम से आधे हिस्से से भी अधिक भूमि दर्ज हो गयी थी, जिसका रकबा लालाराम के वारिसान व केसाराम के वारिसान के हिस्से में बराबर–बराबर करने के लिये वर्ष 1993 में प्रशासन गांवो के संग अभियान में रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की सहमति से ख0नं0 707 रकबा 156 बीघा 2 बिस्वा का आधा हिस्सा अपीलार्थीगण के नाम से खातेदारी में दर्ज करवाया गया था जिसका नामा0 संख्या 12 दर्ज कर स्वीकृत हुआ। इस कारण अपीलाधीन नामा0 की विधिवत जानकारी मृतक खातेदार मूलाराम के पुत्र स्व0 लालाराम के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को रही है। फिर भी जानबूझकर 50 वर्ष बाद प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा म्याद बिन्दू को लेकर उपरोक्त समस्त तथ्यों का अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपील के जवाब में प्रस्तुत करने के बाद भी जानकारी के तथ्यों की अनदेखी कर दिनांक 12.01.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने के योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित नियम व सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति को प्रकरण की पुख्ता जानकारी होने के म्याद के भीतर अपील प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही करनी चाहिए। रेस्पो0सं. 1 से 5 को लगातार

वजह से अपीलार्थीगण के पिता स्व0 केसा के बंट मे रखी गयी भूमि के नामांतकरण संख्या 69 को उसके पारित होने के 50 वर्ष पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने प्रथम अपील के द्वारा चुनौती देने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की गयी है तथा नामा0 संख्या 69 की पुख्ता जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को शुरू से होने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय मे पुख्ता साक्ष्य राजस्व रेकर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किये है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील में अपीलान्टस के प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों की अनदेखी करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 मे वर्णित भूमि अपीलार्थीगण के हक हिस्से व बंट की भूमि थी तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को उनके पिता दादा स्व0 लालाराम ने परिवार की ही अन्य भूमि प्राप्त करके खातेदारी में अपने नाम दर्ज करवा ली। इस कारण रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से प्रथम अपील सारहीन ही प्रस्तुत की गयी थी, जिसको विधि विरूद्व स्वीकार किया गया।

प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली पर मृतक खातेदार स्व0 मूलाराम के लडके प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पिता दादा को अन्य भूमि बंट मे देकर नाम दर्ज करवा देने का तथ्य निर्विवाद रूप से मौजूद है तथा उक्त तथ्य नामांतकरण दर्ज करने से समय भी मौजूद होने से नामांतकरण की जांच में भी मृतक खातेदार मूला के पुत्र केसा के बंट की भूमि होने से अंकन सही होने से रिपोर्ट की गयी हे। जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 द्वारा नही किया गया है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की प्रथम अपील को अन्दर म्याद सुमार करने मे भारी विधिक भूल की गयी है क्योंकि प्रथम अपील 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी, जो अपील असाधारण देरी के प्रस्तुत किये जाने व कालबधित होने से निरस्त किये जाने के योग्य थी। रेस्पो0 सं0 1 से 5 की प्रथम अपील में किसी प्रकार का कोई सारयुक्त आधार नही था, क्योकि स्व0 लालाराम का परिवार ने अन्य भूमि पहले से ही अपने नाम करवा रखी है। इस कारण अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने का कोई न्यायसंगत औचित्य नही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 निरस्त किये जाने के योग्य है।

'अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि लोक अदालत में केवल आपसी सहमति के मामलों की ही पीठासीन अधिकारी को निस्तारण करने का लोक अदालत अधिनियम में अधिकार दिया गया है जबकि प्रथम अपील में किसी प्रकार की कोई आपसी सहमति पक्षकारान के मध्य में नहीं थी एवं मामला विवादित होने के कारण लोक अदालत में उसका निस्तारण करने का पीठासीन अधिकारी को अधिकार नही था, विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने प्रथम अपील के जवाब मे उठाये गये एतराज के बारे में कोई निर्णय नही दिया तथा जवाब की अनदेखी कर अपीलाधीन पारित किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त

जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम खडीन तहसील बाडमेर जिला बाडमेर में हाल ग्राम खडीन (डउकियो की ढाण) खेत ख0 स0 1 व 9 रकबा क्रमशः 92 बीघा 8 बिस्वा एवं रकबा 148 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 240 बीघा 14 बिस्वा एवं ख0न0 6 रकबा 1.10 बीघा गैर मुमकिन ढाणी खातेदार मूला वल्द मगा, सत्ता वल्द खेमा, नाथा वल्द बन्ना की एवं खेत ख0न0 16.03 बीघा भूमि गैर मुमकिन टांका खातेदार मूला वल्द मगा व लाला वल्द मूला कौम जाट की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी जो बन्दोबस्त संवत् 2012 में अंकित है।

रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि खातेदार मूला वल्द मगा की मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रथम वर्ग अनुसार उनके लालाराम, केसराराम (पुत्र), देराजराम, भूरा, आसू, हरचन्द, खंगार, अर्जुन, टीकू पुत्रान केसराराम थे। उपरोक्त दर्ज नामा0 पर ग्राम पंचायत ने आदेश पारित किया कि मूला पुत्र मगा फौत हो चुका है तथा नाथा पुत्र बन्ना लाऔलाद फौत है, नामांतकरण केसराराम के पुत्रों के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया। मृतक मूला का पूरा हिस्सा केसरा पुत्र मूला के वारिसान के नाम अंकित हो गया। जबकि अपीलाधीन नामा0 संख्या 69 पर स्वीकृति आदेश पारित करते समय मूला वल्द मगा का दूसरे जायन्दा पुत्र लालाराम जीवित थे। लालाराम का भी वर्ष 1979 में देहान्त हो चुका है तथा रेस्पोडेन्टस उसके वारिसान है।

रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 पारित होने की जानकारी उस समय रेस्पो0 के पूर्वज लालाराम को नहीं थी और न ही अपने पिता के देहान्त के पश्चात इसकी जानकारी हुई। इस वादग्रस्त आराजी के अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस के अन्य खातेदारी के खेत ग्राम खडीन में आये हुए है और पक्षकारान अपने –अपने हिस्सों के अनुपात में विभाजन कर कब्जा काश्त करते आ रहे है। ऐसे में न तो कभी विवाद हुआ और न ही कभी राजस्व रेकार्ड की जानकारी लेने की आवश्यकता हुई। पक्षकारान् का परिवार बडा होने से खेतो को पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करवाने के उद्देश्य से एवं राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान,2017 के दिनांक 23.05.17 को ग्राम पंचायत, खडीन मुख्यालय पर नियत होने से हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व ,रिकार्ड की जानकारी ली तो सर्वप्रथम रेस्पो0 को अपीलाधीन नामा0 का ज्ञान हुआ कि ख0 न0 1, 6, 9 व 16 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्टस/उनके पिता के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। तब मूल खातेदार श्री मूला वल्द मगा की फौतेदगी पर खोले गये विरासत के नामांतकरण की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि खातेदार मूला वल्द मगा की फौतेदगी पर विरासत का नामांतकरण संख्या 69 अकेले अपीलान्टस 1 से 7 के नाम स्वीकृत हो गया है। इस सम्बन्ध में विधि का प्रावधान है कि कानूनी रूप से गलत निर्णय की अपील एवं रिविजन करने की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर कोई मियाद नहीं होती है एवं ऐसे आदेश शून्य मानते हुए उसे

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया गया है।

रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत उक्त अपीलाधीन नामा0 से रेस्पोडेन्टस के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने पर अपने हक–अधिकार प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेन्टस को नामा0 सं0 69 मौजा खड़ीन पर पारित आदेश के विरूद्व अपील पेश करने की आवश्यकता पड़ी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक खातेदार मूला के फौतेदगी नामा0 में उनके सभी विधिक वारिसान यानि पुत्रों के नाम आने चाहिये थे। ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया नामा0 विधि विरूद्ध था जो करने निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 ग्राम पंचायत की बैठक में पेश होने का व पंचायत बोर्ड के द्वारा ली गई राय का अंकन नहीं है और न ही सरपंच, ग्राम पंचायत, खड़ीन की मुद्रा(मोहर) अंकित थी। केवल स्वीकृत किया गया तत्पश्चात कानाराम नाम लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि अपीलाधीन नामा0 अपीलान्टस से प्रभावित होकर/मिलीभगती कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पारित नहीं कर अन्य स्थान पर पारित किया गया होगा। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य था। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 पर पारित आदेश खातेदारी घोषणा करने के समतुल्य है। इस प्रकार की घोषणा सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद से ही सम्भव है। ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि सरपंच, ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन आराजी में अपीलाधीन नामा0 के जरिये अपीलान्टस को ही मृतक मूला की समस्त खातेदार जोत का खातेदार घोषित कर दिया है तथा रेस्पोडेन्टगण के पिता लालाराम जो स्व0 मूलाराम का जायन्दा पुत्र के जीवित होते हुए भी अपीलाधीन नामा0 में अकेले केसराराम के वारिसान (पोते) अपीलान्टस का अंकन करने में विधि की भारी भूल की है। अपीलाधीन आदेश प्रचलित हिन्दू उतराधिकार विधि के विरूद्व एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार विहिन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है अतः नामा0 को निरस्त करवाने हेतु तथा मृतक मूला वल्द मगा के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष में नये सिरे नामांतकरण खोले जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए नामा0 संख्या 69 को निरस्त करते हुए स्व0 मूलाराम के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, रामसर को निर्देशित किया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है अतः अपीलान्टस की अपील सारहीन तथ्यों के आधार पर आधारित होने से खारिज की जावें एवं अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 सं. 7 के उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में जो आदेश पारित किया गया है वह अपील के गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है एवं अपीलांटस की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 12.0.1.2018 का अवलोकन किया तथा बहस के दौरान अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के अधिवक्तागण द्वारा उल्लेखित किये गये कथनों के अनुसार नामा0 संख्या 69 का अवलोकन किया गया। स्वीकार्य तथ्यों के अनुसार खातेदार मूला की मृत्यु हो जाने पर नाम0 संख्या 69 अकेले अपीलान्ट केसा के पुत्रों के नाम दर्ज किया गया हैं। केसा के भाई लाला का उक्त नामा0 में नाम दर्ज नहीं किया गया है।

नामा0 संख्या 69 के अवलोकन अनुसार उसमें यह अंकित है कि ''मूला पुत्र मगा फौत हो चुका है तथा केसारा पुत्र मूला भी फौत हो चुका है अतः मूला के पोतों (केसरा के पुत्रों) के नाम नामान्तरकरण भरा गया।'' जबकि खातेदार मूला पुत्र मगा के दो पुत्र केसरा वा लाला है तथा दोनों सगे भाई है, यह निर्विवाद तथ्य है। लाला का खातेदार मूला की पैतृक भूमि में अधिकार जन्म से ही सृजित है। खातेदार मूला के फौतेदगी नामान्तरकरण में लाला या लाला के वारिसान का नाम विधिक रूप से आना चाहिये था जोकि उक्त नामान्तरकरण में नहीं आया है। यह एक विधिक भूल है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा इन्हीं सम्पूर्ण तथ्यों के दृष्टिगत ही रेस्पो0 की प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0 संख्या 69 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामसर को रिमाण्ड कर खातेदार स्व0 मूलाराम के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि की दृष्टि से उचित है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर